

ए.एम. कुलश्रेष्ठ

बनाम

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 7039 सन् 2025)

20 मई 2025

[न्यायमूर्ति अभय एस. ओक एवं न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह]

### विचारणीय मुद्दा

क्या अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए; क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्रथम चरण की सलाह प्राप्त किए बिना आरोप पत्र प्रस्तुत करने की प्रत्यर्थी-बैंक की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और मनमानी थी।

### हेडनोट्स

भारतीय संघ अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियमावली, 1976 - विनियम 19 - केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ परामर्श - प्रत्यर्थी-बैंक ने सीवीसी की सलाह का इंतजार किए बिना अपीलकर्ता को आरोप पत्र दिया - अपीलकर्ता ने आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी - हस्तक्षेप:

धारित किया गया: विनियमन 19 में यह प्रावधान है कि बैंक, जहां भी आवश्यक हो, सतर्कता आयाम वाले अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में सीवीसी से परामर्श करेगा - सीवीसी से सलाह दो चरणों में ली जाती है - पहले चरण की सलाह आरोप पत्र जारी करने से पहले मांगी जाती है, और दूसरे चरण की सलाह या तो आरोप पत्र का जवाब प्राप्त होने पर या जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर होती है - प्रत्यर्थी ने स्वयं स्वीकार किया कि मामले में सतर्कता आयाम था और सीवीसी से परामर्श आवश्यक था, और इसलिए, उसने सीवीसी की राय मांगी - इसलिए, सीवीसी द्वारा पहले चरण की सलाह प्राप्त किए और उस पर विचार किए बिना बैंक के लिए आरोप पत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की तामील करने का विकल्प नहीं था – यह निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई पिछली याचिका में कार्यकारी निदेशक द्वारा दिए गए बयान के बावजूद था , जिसमें कहा गया था कि सीवीसी से सलाह प्राप्त होने पर ही आरोप पत्र तामील किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने यह धारित करने में त्रुटि की है कि विनियमन 19 अनिवार्य नहीं था - यह मुद्दा अप्रासंगिक था क्योंकि बैंक ने स्वयं स्वीकार किया था कि मामले के तथ्यों को देखते हुए , सीवीसी से प्रथम चरण की सलाह लेना आवश्यक था - आरोप पत्र सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द और अपास्त किया जाता है - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी पेंशन विनियमनावली, 1995। [पैरा 16, 17, 19-21, 22, 25]

### अधिनियमों की सूची

भारतीय संघ अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 1976; यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी पेंशन विनियमावली, 1995; केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003; सीवीसी सतर्कता नियमावली, 2017।

### कीवर्ड की सूची

भारत संघ अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 1976 का विनियम 19; केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी); केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श; अनुशासनात्मक कार्यवाही; केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्रथम चरण की सलाह प्राप्त किए बिना आरोप-पत्र दिया जाना; निलंबन आदेश; सतर्कता आयाम वाले अनुशासनात्मक मामले; सीवीसी की सलाह; सीवीसी की प्रथम चरण की सलाह; आरोप-पत्र जारी करने में विलंब; सेवानिवृत्ति; अनुशासनात्मक कार्रवाई; ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देना; सतर्कता कार्यवाही; सीवीसी के साथ परामर्श अनिवार्य या विवेकाधीन; अनुशासनात्मक कार्यवाही और आरोप-पत्र रद्द; सेवानिवृत्ति लाभ।

### वाद उद्धृत

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 7039 सन् 2025

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

एसपीएलए सं. 963 सन् 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 20.09.2019 के निर्णय एवं आदेश से

### पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता : गोपाल शंकरनारायणन, सीनियर एडवोकेट, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, अक्षत कुलश्रेष्ठ, तुषार श्रीवास्तव, सुश्री श्रेया नायर, रवि चंद्र प्रकाश, प्रखर सिंह।

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता : ओ.पी. गग्गर, सचिन्द्र कर्ण।

### सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

#### निर्णय

#### न्यायमूर्ति अभय एस. ओक

स्वीकृति प्रदान की गई।

1. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 26 जुलाई, 2019 के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के अनुसरण में उसको प्रस्तुत आरोप पत्र को रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

#### तथ्यात्मक पहलू

2. अपीलकर्ता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एतस्मिनपश्चात् “प्रत्यर्थी बैंक”) का कर्मचारी था, जहां उसने 1984 से 2018 तक लगभग 34 वर्षों तक सेवा की। उसे 2016 में उप महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया था और 30 जून, 2019 को सेवानिवृत्त होने वाला था।

3. प्रत्यर्थी बैंक ने 21 अगस्त, 2018 के आदेश के तहत अपीलकर्ता को आगे की अनुशासनात्मक कार्यवाई तक निलंबित कर दिया। बैंक ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने, मेरठ के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में अपनी पूर्व भूमिका में, मिड-कॉर्पोरेट गाजियाबाद शाखा द्वारा प्रस्तुत 16 खातों में ऋण प्रस्तावों को स्वीकृत करते समय अत्यंत लापरवाह रवैया अपनाया था। यह

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

आरोप लगाया गया कि उसने शाखा या प्रोसेसिंग अधिकारियों द्वारा उचित जाँच-पड़ताल सुनिश्चित किए बिना ही नवगठित फर्मों को बड़ी सीमाएँ स्वीकृत कर दीं। निलंबन आदेश के लगभग छह महीने बाद, 18 जनवरी, 2019 को अपीलकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे पूछा गया कि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। 27 मार्च, 2019 को, अपीलकर्ता को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें पिछले कारण बताओ नोटिस में बताई गई चूकों और कमियों को शामिल किया गया था, लेकिन अन्य पक्षों के संबंध में। अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी बैंक से कई बार अनुरोध किया कि उसका निलंबन रद्द कर दिया जाए। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

4. अपीलकर्ता ने दिनांक 21 अगस्त, 2018 के आदेश के विरुद्ध माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल विविध रिट याचिका सं. 6976 सन् 2019 दायर की। प्रत्यर्थी बैंक के महाप्रबंधक (जिन्हें आगे "महाप्रबंधक" कहा जाएगा) ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 23 मई, 2019 को व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप पत्र जारी करने में हुई देरी को उचित ठहराते हुए कहा गया कि मामला भारत संघ अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 1976 (एतस्मिनपश्चात् "विनियमावली, 1976") के विनियम 19 के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग (एतस्मिनपश्चात् "सीवीसी" के रूप में संदर्भित) को भेजा गया था। महाप्रबंधक के हलफनामे का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

32. यह कि, आईएसी ने अपीलकर्ता सहित 16 अधिकारियों के मामले को सतर्कता मामले के रूप में देखा/माना है।

33. चूंकि अपीलकर्ता टीईजीएस-VI में एक कार्यकारी है और साथ ही मामला अन्य कार्यकारी/अधिकारियों से जुड़ा है, इसलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियमावली, 1976 के विनियम 19 और केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, जैसा कि परिपत्र सं. 07/04/15 दिनांकित 27.04.2015 (अनुलग्नक सीए-4) द्वारा प्रसारित किया गया था, मामला पहले चरण की सलाह के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया है।

34. तदनुसार, बैंक के केंद्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को 23.04.2019 को

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को अपना पहला चरण प्राप्त करने के लिए मामला अग्रेषित करने का अनुरोध भेजा गया है। सीवीसी की सलाह का अभी भी इंतजार है।"

प्रत्यर्थी बैंक के अनुशासन प्राधिकारी/कार्यकारी निदेशक (एतस्मिनपश्चात् "कार्यकारी निदेशक" के रूप में संदर्भित) ने 13 जून, 2019 को उच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि मामला सीवीसी को भेज दिया गया है और सीवीसी की सलाह मिलने पर अपीलकर्ता को आरोप पत्र जारी किया जाएगा। कार्यकारी निदेशक के हलफनामे का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है।

"27. कि सीवीसी की सलाह प्राप्त होने पर, प्रत्यर्थी बैंक जल्द ही अपीलकर्ता के साथ-साथ अन्य संबंधित अधिकारियों को, जो मामले में शामिल पाए जाते हैं, आरोप-पत्र जारी करेगा।"

(प्रभाव वर्धित)

18 जून, 2019 को, प्रत्यर्थी बैंक ने अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोपों के संबंध में 10 जून, 2019 का एक पूर्व-दिनांकित आरोप-पत्र सौंपा। हालाँकि, यह आरोप-पत्र सीवीसी की सलाह प्राप्त किए बिना ही पेश कर दिया गया था।

5. उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ ने 20 जून, 2019 के आदेश द्वारा 21 अगस्त, 2018 के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि 21 अगस्त 2018 से अपीलकर्ता का निलंबन जारी रखना, बिना आरोप पत्र शुरू किए या लगभग एक साल तक तामील किए, और वह भी अपीलकर्ता के करियर के अंतिम चरण में, पूरी तरह से मनमाना और अवैध है। साथ ही, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी बैंक को आगे कोई भी कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता प्रदान की, जिसे वह उचित समझे। तदनुसार, कार्यकारी निदेशक ने अपीलकर्ता को 28 जून, 2019 को एक पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहेगी और अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने तक उसे कोई वेतन, भत्ता या सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेगा।

6. अपीलकर्ता ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल विविध रिट याचिका सं.

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

10800 सन् 2019 दायर कर 10 जून, 2019 के आरोपपत्र को इस आधार पर रद्द करने की मांग की कि आरोपपत्र सीवीसी की सलाह लिए बिना ही प्रस्तुत किया गया था , जो विनियमावली, 1976 के विनियमन 19 के तहत अनिवार्य आवश्यकता का उल्लंघन है। अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी पेंशन विनियमावली, 1995 के तहत पेंशन भुगतान के लिए उसके मामले पर विचार करने और परिणामी राहत के साथ अपीलकर्ता को पेंशन का भुगतान करने का निर्देश देने की भी मांग की।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 26 जुलाई, 2019 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपपत्र रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता और अपीलकर्ता को जाँच में सहयोग करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता ने विशेष अपील सं. 963 सन् 2019 दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी। खंडपीठ ने 20 सितंबर, 2019 के अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपपत्र जारी करने से पहले सीवीसी की सलाह लेना आवश्यक नहीं है।

### **प्रासंगिक प्रावधान**

8. इस अपील में शामिल मुद्दों पर विनियमावली, 1976, के विनियमन 19 पर विचार करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है:

**“विनियम 19. केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श:** बैंक सतर्कता आयाम वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में, जहाँ भी आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करेगा”

विनियमन के अनुसार, प्रत्यर्थी बैंक को सभी अनुशासनात्मक मामलों में , जहाँ भी आवश्यक समझा जाए, सतर्कता के आयाम से, सीवीसी से परामर्श करना आवश्यक है। नियम की भाषा 'करेगा' शब्द के प्रयोग द्वारा परामर्श की अनिवार्य बाध्यता निर्धारित करती है , और साथ ही प्रत्यर्थी बैंक को परामर्श को 'जहाँ भी आवश्यक हो' तक सीमित करके विवेकाधिकार प्रदान करती है। यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या उक्त प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशात्मक।

### **दलीलें**

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।*

## अपीलकर्ता की ओर से दलीलें

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि विनियमावली , 1976 के विनियम 19 में, "परामर्श करेगा" शब्दों का प्रयोग करके , प्रत्यर्थी बैंक पर यह अनिवार्य शर्त लगाई गई है कि वह भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी सभी शिकायतों में , किसी कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करने से पहले, सीवीसी की सलाह अवश्य ले। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सीवीसी के 28 सितंबर, 2000 के परिपत्र सं. 99/वीजीएल/66, 15 अप्रैल, 2004 के परिपत्र सं. 24/4/04 और 27 अप्रैल, 2015 के परिपत्र सं. 07/04/15 का हवाला दिया। इन परिपत्रों के प्रासंगिक अंश यहाँ पुनः प्रस्तुत हैं:

### **परिपत्र सं. 99/वीजीएल/66 दिनांकित 28 सितंबर, 2000**

"3. वर्तमान में, अनुशासनात्मक कार्यवाही में आयोग से दो चरणों में परामर्श किया जा रहा है, अर्थात् प्रथम चरण में आरोप पत्र जारी करने से पहले जांच रिपोर्ट पर सलाह प्राप्त की जाती है, तथा द्वितीय चरण में आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर या जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सलाह प्राप्त की जाती है।"

### **परिपत्र सं. 24/4/04 दिनांकित 15 अप्रैल, 2004**

"3. यह स्पष्ट किया जाता है कि सतर्कता आयाम से संबंधित लेखापरीक्षा और निरीक्षण आदि से उत्पन्न शिकायतों/मामलों पर जांच/जांच रिपोर्ट को सलाह के लिए आयोग को भेजा जाना होगा, भले ही बैंक में सक्षम प्राधिकारी मामले को बंद करने का निर्णय ले, यदि इसमें शामिल कोई भी अधिकारी उस स्तर का है जिसके लिए आयोग की सलाह अपेक्षित है।"

### **परिपत्र सं. 07/04/15 दिनांकित 27 अप्रैल, 2015**

"आयोग के साथ परामर्श की मौजूदा योजना के अनुसार , मंत्रालयों/विभागों और अन्य सभी संगठनों के सीवीओ को भ्रष्टाचार या अनुचित मंशा के आरोपों से जुड़ी सभी शिकायतों की प्रारंभिक जांच /विवेचना की रिपोर्टों पर अनुशासनात्मक प्राधिकारियों (डीए) के अनंतिम विचार प्राप्त करने के बाद आयोग की प्रथम चरण

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।*

की सलाह लेनी आवश्यक है; या सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले यदि कथित तथ्य प्रथम दृष्टया सतर्कता आयाम का एक तत्व इंगित करते हैं जो सतर्कता शिकायत रजिस्टर में दर्ज हैं जिसमें श्रेणी -ए अधिकारी (अर्थात संघ के मामलों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, केंद्र सरकार के समूह-ए अधिकारी और सीपीएसयू, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, वितीय संस्थानों, सोसायटियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के अधिकारियों के स्तर और श्रेणियां, जैसा कि सरकार द्वारा सीवीसी अधिनियम, 2003 की धारा 8(2) के तहत अधिसूचित किया गया है) शामिल हैं। ऐसे संदर्भों में वे मामले भी शामिल हैं जिनमें जांच के आरोप प्रथम दृष्टया किसी सतर्कता के पहलू/कोण/भ्रष्टाचार का संकेत नहीं देते हैं।

आयोग के साथ परामर्श की योजना की समीक्षा करने और मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में सतर्कता प्रशासन की प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि, अब से श्रेणी-ए अधिकारियों से संबंधित शिकायतों/मामलों के साथ-साथ समग्र मामलों में सीवीओ द्वारा जांच/विवेचना के बाद, जिसमें श्रेणी-बी अधिकारी भी शामिल हैं, यदि जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सतर्कता आयाम/भ्रष्टाचार का संकेत नहीं देते हैं और पूरी तरह से गैर - सतर्कता/प्रशासनिक चूक से संबंधित हैं, तो मामले का फैसला सीवीओ और संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के स्तर पर लोक सेवक के संबंधित डीए द्वारा किया जाएगा। इसलिए, गैर-सतर्कता/प्रशासनिक चूक में प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने वाली सीवीओ की रिपोर्ट डीए को प्रस्तुत की जाएगी और यदि डीए सीवीओ की सिफारिशों से सहमत होता है, तो मामले को संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के स्तर पर अंतिम रूप दिया जाएगा।। ऐसे सभी मामलों में, आयोग से प्रथम चरण की सलाह लेने के लिए कोई संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, यदि सतर्कता के पहलू के बारे में मुख्य सतर्कता अधिकारी और लेखा परीक्षक के बीच मतभेद हो, तो मामला और साथ ही, सतर्कता के पहलू वाली शिकायतों पर जाँच रिपोर्ट, चाहे वे

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

निराधार ही क्यों न हों, प्रथम चरण की सलाह के लिए आयोग को भेजी जाती रहेंगी। सतर्कता नियमावली और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों में सतर्कता प्रबंधन पर विशेष अध्याय के प्रावधान इस सीमा तक संशोधित माने जाएँगे।"

(रेखांकित)

उपर्युक्त परिपत्रों का सहारा लेते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए सीवीसी से परामर्श एक आवश्यक पूर्व - आवश्यकता है।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(एच) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जिसमें सीवीसी को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगमों, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले स्थानीय प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण का कार्य और शक्ति प्रदान की गई है। सीवीसी की सतर्कता नियमावली, 2017 के खंड 7.9.1 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया, जिसके अनुसार मंत्रालयों/विभागों और अन्य सभी संगठनों के केंद्रीय सतर्कता अधिकारियों को भ्रष्टाचार या अनुचित मंशा के आरोपों से जुड़ी सभी शिकायतों की प्रारंभिक जांच/जांच की रिपोर्टों पर; या यदि कथित तथ्य प्रथम दृष्टया सतर्कता के तत्त्व का संकेत देते हैं, अनुशासनात्मक अधिकारियों के अस्थायी विचार प्राप्त करने के बाद आयोग की प्रथम चरण की सलाह लेनी आवश्यक है।

11. अंत में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने महाप्रबंधक और कार्यकारी निदेशक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सिविल विविध रिट याचिका सं. 6976 सन् 2019 में क्रमशः 23 मई, 2019 और 13 जून, 2019 को दायर हलफनामों का हवाला दिया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि प्रत्यर्थीगण ने इन दोनों हलफनामों के माध्यम से स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही सतर्कता संबंधी है और इसलिए मामले को विनियमावली, 1976 के विनियम 19 के अनुसार सलाह के लिए सीवीसी को भेज दिया गया है। इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण को अब सीवीसी की प्रथम-चरणीय सलाह प्राप्त किए बिना अपीलकर्ता के विरुद्ध एकतरफा अनुशासनात्मक

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

कार्यवाही शुरू करने से रोक दिया गया है।

### प्रत्यर्थागण की ओर से प्रस्तुतियाँ

12. प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि सीवीसी नियमावली के खंड 7.9.1 के अनुसार, 'सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले' आयोग की प्रथम चरण की सलाह लेना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोप पत्र प्रस्तुत करना मामले में अंतिम निर्णय लेने के समान नहीं माना जाएगा , बल्कि यह केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के समान होगा, और इसलिए, सीवीसी की सलाह न लेने के कारण आरोप पत्र को अमान्य नहीं किया जा सकता।

13. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी बैंक ने 17 मई 2019 के अपने पत्र के माध्यम से सीवीसी से प्रथम चरण की सलाह मांगी थी ; हालाँकि, उन्हें 21 जून 2019 को सीवीसी का जवाब मिला। सलाह को अत्यधिक सावधानी के साथ लिया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नियमों या विनियमों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए जिससे सीवीसी से सलाह प्राप्त होने तक अनुशासनात्मक प्रक्रिया बाधित या विलंबित हो। केवल सीवीसी की निष्क्रियता के कारण दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को विफल नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि सतर्कता कार्यवाही का लंबित रहना प्रत्यर्थी बैंक द्वारा किसी कर्मचारी के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक नहीं लगाता है, और तदनुसार, प्रत्यर्थी बैंक आरोप पत्र जारी कर सकता है।

14. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि यह कहना गलत है कि प्रत्यर्थागण ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के दो दौरों में दो विरोधाभासी और असंगत रुख अपनाए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने इस बात से इनकार किया कि आरोप पत्र जल्दबाजी में तैयार किया गया था और यह किसी दुर्भावनापूर्ण कारण , बाहरी विचार या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण पूर्व - दिनांकित था और केवल ईमेल द्वारा भेजा गया था। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोप पत्र की तामील और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहने से अपीलकर्ता को कोई नुकसान नहीं हुआ।

### दलीलों पर विचार

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।*

15. वर्तमान मामले में, तथ्यात्मक पहलू अत्यंत प्रासंगिक हैं। कालानुक्रमिक वर्णित तथ्यात्मक पहलू इस प्रकार हैं:-

क. अपीलकर्ता वर्ष 1984 से प्रत्यर्थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत था;

ख. वर्ष 2016 में उसे उप महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया;

ग. 30 जून 2019 को अपीलकर्ता सेवानिवृत्त होने वाला था;

घ. अपीलकर्ता का रिकॉर्ड 21 अगस्त 2018 तक बेदाग था, जब बैंक ने उसे निलंबित कर दिया। अपीलकर्ता पर आरोप है कि मेरठ में क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में, उसने मिड-कॉर्पोरेट गाजियाबाद शाखा द्वारा भेजे गए 16 खातों में ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देते समय बहुत ही लापरवाह रवैया अपनाया। आरोप है कि अपीलकर्ता ने शाखा/प्रोसेसिंग अधिकारियों द्वारा उचित तत्परता सुनिश्चित किए बिना नवगठित फर्मों को बड़ी सीमाएँ मंजूर कीं;

ड. 18 जनवरी 2019 और 27 मार्च 2019 को अपीलकर्ता को दो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिसमें उनसे कारण बताने को कहा गया कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए;

च. चूंकि निलंबन रद्द करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता ने निलंबन के आदेश को चुनौती देने के लिए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उक्त रिट याचिका में, महाप्रबंधक ने आरोप पत्र जारी करने में देरी को उचित ठहराते हुए अपना हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि मामला पहले चरण की सलाह के लिए सीवीसी को भेजा गया था, लेकिन सलाह प्राप्त नहीं हुई। उसने विनियमावली, 1976 के विनियम 19 का सहारा लिया। उसी रिट याचिका में, 13 जून 2019 को कार्यकारी निदेशक द्वारा एक और हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि सीवीसी से सलाह मिलने पर, अपीलकर्ता को आरोप/आरोप पत्र के लेख जारी किए जाएंगे;

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

छ. 20 जून 2019 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2018 के निलंबन आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता को 21 अगस्त 2018 से लगभग एक वर्ष तक बिना आरोप पत्र प्रस्तुत किए या तामील किए निलंबित रखना मनमाना और अवैध था। हालाँकि, बैंक को आगे की कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई थी; और

ज. 18 जून 2019 को, सीवीसी की सलाह का इंतजार किए बिना, अपीलकर्ता को 10 जून 2019 का आरोप पत्र तामील कर दिया गया। इसके बाद, 28 जून 2019 के एक पत्र द्वारा, कार्यकारी निदेशक ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहेगी और कार्यवाही पूरी होने तक उसे कोई वेतन, भत्ते या सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेंगे।

16. विनियमावली, 1976 के विनियम 19 में यह प्रावधान है कि बैंक, जहां भी आवश्यक हो, सतर्कता आयाम वाले अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में सीवीसी से परामर्श करेगा। विनियमन को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे मामलों में जहां प्रत्यर्थी बैंक समझता है कि सतर्कता कोण वाले मामले के कारण परामर्श आवश्यक है, प्रत्यर्थी बैंक को सीवीसी की सलाह लेनी आवश्यक है। इसलिए, यद्यपि विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रश्न पर तर्क दिया है कि क्या सीवीसी के साथ परामर्श अनिवार्य है या विवेकाधीन, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, हमारे लिए उक्त प्रश्न पर गहराई से विचार करना आवश्यक नहीं है। कारण यह है कि प्रत्यर्थी बैंक ने स्वयं स्वीकार किया है कि मामले में सतर्कता आयाम था और सीवीसी के साथ परामर्श आवश्यक है, और इसलिए, प्रत्यर्थी बैंक ने सीवीसी की राय मांगी थी।

17. हमने पहले ही सीवीसी द्वारा जारी 28 सितंबर 2000, 15 अप्रैल 2004 और 27 अप्रैल 2015 के परिपत्रों के प्रासंगिक भागों को उद्धृत किया है। जैसा कि परिपत्रों से देखा जा सकता है, सीवीसी से उसकी सलाह के लिए दो चरणों में परामर्श किया जा रहा है। पहले चरण की सलाह आरोप पत्र जारी करने से पहले मांगी जाती है, और दूसरे चरण की सलाह या तो आरोप पत्र का जवाब प्राप्त होने पर या जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर होती है। जैसा कि बैंक के महाप्रबंधक द्वारा दायर 23 मई 2019 के हलफनामे से देखा जा सकता है, सीवीसी की पहले चरण की सलाह मांगी गई है। कार्यकारी निदेशक द्वारा दायर 13 जून 2019 के हलफनामे में भी स्पष्ट रूप से कहा

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

गया है कि सीवीसी की सलाह प्राप्त होने पर , बैंक अपीलकर्ता को आरोप पत्र जारी करेगा। जैसा कि पहले कहा गया था, उक्त हलफनामा दाखिल करने के पांच दिनों के भीतर, 10 जून 2019 का आरोप पत्र अपीलकर्ता को दिया गया था। यह कार्य सीवीसी से प्रथम चरण की सलाह प्राप्त किये बिना ही किया गया।

18. प्रत्यर्थी बैंक ने अपने प्रति-शपथपत्र में स्वीकार किया है कि सीवीसी से प्रथम चरण की सलाह 17 मई 2019 को मांगी गई थी। उल्लेखनीय है कि सीवीसी से सलाह निलंबन आदेश के नौ महीने बाद मांगी गई थी। वास्तव में, 18 जनवरी 2019 और 27 मार्च 2019 को अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें उनसे कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया था कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

19. इस प्रकार, प्रत्यर्थी-बैंक ने स्वीकार किया कि विनियमावली , 1976 के विनियम 19 लागू था और इसलिए, सीवीसी से प्रथम-चरण की सलाह मांगी गई थी। प्रथम-चरण की सलाह मिलने से पहले ही , 10 जून 2019 को आरोप-पत्र तैयार रखा गया था , जो 18 जून 2019 को अपीलकर्ता को दिया गया था। इस मामले में , प्रत्यर्थी बैंक ने स्वयं सीवीसी से प्रथम-चरण की सलाह लेने की आवश्यकता स्वीकार की। इसलिए, सीवीसी से प्रथम-चरण की सलाह प्राप्त किए और उस पर विचार किए बिना बैंक के लिए आरोप-पत्र देना संभव नहीं था।

20. जैसा कि पहले कहा गया है , सेवानिवृत्ति की तिथि से केवल दस महीने पहले , अपीलकर्ता को निलंबन आदेश दिया गया था। यह 34 वर्षों की बेदाग सेवा के बाद किया गया था। हालाँकि सीवीसी से प्रथम चरण की सलाह लेना आवश्यक था, लेकिन सलाह 17 मई 2019 को ही मांगी गई। सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से बारह दिन पहले , सीवीसी की सलाह प्राप्त किए बिना और उस पर विचार किए बिना, अपीलकर्ता को आरोप पत्र दिया गया। यह कार्यकारी निदेशक द्वारा पूर्व में शपथ पर दी गई याचिका में दिए गए स्पष्ट कथन के बावजूद था, जिसमें कहा गया था कि आरोप पत्र केवल सीवीसी से सलाह प्राप्त होने पर ही दिया जाएगा।

21. एक बार जब सीवीसी की प्रथम चरण की सलाह माँगी गई, तो प्रत्यर्थी-बैंक का यह कर्तव्य था कि वह सलाह पर विचार करे और फिर आरोपपत्र तामील करने का निर्णय ले। इस प्रकार , प्रत्यर्थी-बैंक की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और मनमानी है। अपीलकर्ता को उसके 34 साल के बेदाग

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।*

करियर के अंतिम चरण में प्रताड़ित करने की कोशिश की गई।

22. उच्च न्यायालय ने यह मानकर घोर भूल की कि विनियमावली , 1976 के विनियम 19 अनिवार्य नहीं है। यह मुद्दा अप्रासंगिक था, क्योंकि बैंक ने स्वयं स्वीकार किया था कि मामले के तथ्यों को देखते हुए, सीवीसी से प्रथम चरण की सलाह लेना आवश्यक था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय में ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह पता चले कि सीवीसी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

23. अब, इस स्तर पर, प्रत्यर्थी-बैंक को अनुशासनात्मक कार्यवाही पुनः शुरू करने की अनुमति देना अन्यायपूर्ण होगा। अपीलकर्ता की सेवानिवृत्ति को लगभग छह वर्ष बीत चुके हैं।

24. यद्यपि अपीलार्थी सभी सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार होगा, परन्तु वह किसी भी बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा।

### निष्कर्ष

25. तदनुसार, 10 जून 2019 के आरोप पत्र सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही को एतद्द्वारा निरस्त एवं अपास्त किया जाता है। यद्यपि अपीलकर्ता बकाया वेतन और भत्तों का हकदार नहीं होगा, फिर भी प्रत्यर्थी बैंक इस आधार पर सभी स्वीकार्य सेवानिवृत्ति लाभ जारी करेगा कि अपीलकर्ता 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त हो चुका है। कानून के अनुसार अपीलकर्ता को देय सेवानिवृत्ति लाभों की राशि का भुगतान आज से तीन माह के भीतर अपीलकर्ता को किया जाएगा। उपरोक्त शर्तों पर अपील स्वीकार की जाती है।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

*हेडनोट्स द्वारा : दिव्या पांडे*

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।*